रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 1995/भाद्र 28, 1917
No. 383] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 1995/BHADRA 28, 1917

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बीमा प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1995

सा. का. नि. 644(अ):—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) विनियम, 1960 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) (संशोधन) विनियम, 1995 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) विनियम, 1960 में, विनियम 35 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"सम्पत्ति की विवरणियां फाइल करना

35क. (1) निगम का कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में किसी स्थावर सम्पत्ति या उसमें किसी हित का पट्टे, बंधक, क्रय, विक्रय, दान के द्वारा या अन्यथा अर्जन या प्रतिग्रहण या किसी रीति से उसका व्ययन नहीं करेगा ।

(2) निगम का कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म से, जिसके साथ उसका शासकीय व्यवहार है या था, किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति से संबंधित कोई संव्यवहार नही करेगा ।

(3) निगम का प्रत्येक कर्मचारी, स्थावर सम्पत्ति के, यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य वर्ग 1 या वर्ग 2 पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में 10 हजार रुपए से या किसी वर्ग 3 या वर्ग 4 पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में, पांच हजार रुपए से अधिक है, प्रत्येक संव्यवहार के बारे में, सक्षम प्राधिकारी को तुरंत रिपोर्ट करेगा ।

(4) वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 में कोई पद धारण करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित के बारे में आस्तियों और दायित्वों को, 1 अप्रैल, 1995 से प्रत्येक वर्ष एक बार, ऐसे प्रारूप में, जो विहित किया जाए, विवरणी जो सम्यक् रूप से उसके द्वारा सत्यापित हो, प्रस्तुत करेगा :—

(क) उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीतियों में से किसी रीति से उसके द्वारा प्रतिगृहीत या अर्जित की गई अथवा उसके स्वामित्व की या विरासत में आई या उसके नाम में या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में धारित कोई स्थावर सम्पत्ति:—

(ख) उसके विरासत में आई या स्वामित्व के या इसी प्रकार उसके द्वारा प्रतिगृहीत या अर्जित या उसके नाम में धारित शेयर डिबेंचर, या अन्य प्रतिभूतियों या नकदी, जिनके अन्तर्गत बैंक निक्षेप भी है;

(ग) उसके विरासत में आई, स्वामित्व के या इसी प्रकार उसके द्वारा प्रतिगृहीत या अर्जित या उसके नाम में या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में धारित कोई अन्य जंगम सम्पत्ति जहां ऐसी सम्पत्ति का मूल्य विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को 10,000 रुपए से अधिक है; और

(घ) उसके द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपगत ऋण या अन्य दायित्व : परन्तु सक्षम प्राधिकारी, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, वर्ग 4 के किसी कर्मचारी को किसी एक वर्ष या अधिक वर्षों के लिए अपनी आस्तियों और दायित्वों की विवरणी प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा, जिस दशा में इस उपविनियम के उपबंध उसे वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे वर्ग 1 या वर्ग 2 या वर्ग 3 के किसी कर्मचारी को लागू होते हैं ।

(5) प्रथम नियुक्ति की दशा में, नियुक्ति की तारीख को आस्तियों और दायित्वों को बाबत उपविनियम (4) में विनिर्दिष्ट विवरणी, उस तारीख से, जिसको उसे सेवा में नियुक्त किया जाता है, एक मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी :

स्पष्टीकरण :-

इस विनियम के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी, उस पद का, जिसका कर्मचारी है, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) विनियम, 1960 के संगत अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

[फा. स. 9/29/90—सतर्कता]

सी. एस. राव, संयुक्त सचिव

अनुसूची-6

प्ररूप

भारतीय जीवन बीमा निगम

वर्ष ———— (1 जनवरी————को) के लिए स्थावर सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी/पदधारी का (पूरा) नाम———— 2. वर्तमान धारित पद————

3. तैनाती का स्थान———— 4. वर्तमान वेतन————

जिला, उपखंड, तालुक और ग्राम का नाम, जहां सम्पत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम और ब्यौरे गृह सम्पत्ति और अन्य भूमि भवन	वर्तमान मूल्य**	यदि सम्पत्ति स्वयं के नाम में धारित नहीं है तो उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसके नाम से धारित है और उससे सरकारी सेवा का सबंध	क्या क्रय, पट्टा* बंधक, विरासत, दान या अन्यथा अर्जित की गई है तथा अर्जन करने की तारीख और जिस व्यक्ति से अर्जित की गई है उसका नाम और ब्यौरा दें	सम्पत्ति से वार्षिक आय	टिप्पणियां,

हस्ताक्षर----------

तारीख----------

*जो खंड लागू न हो उसे काट दें ।

**ऐसे मामलों में जहां सम्पत्ति के मूल्य का ठीक-ठीक निर्धारण करना संभव नहीं है, वर्तमान स्थितियों में लगभग मूल्य उपदर्शित किया जाए । इसमें अल्पकालिक पट्टा भी सम्मिलित है ।

टिप्पण:—घोषणा प्ररूप भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) विनियम, 1966 के विनियम 35क के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा, सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति पर तथा तत्पश्चात प्रत्येक बारह मास के अंतराल पर, अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में पट्टे या बंधक पर अपने स्वामित्व की, अपने द्वारा अर्जित या विरासत में आई सभी स्थावर संपत्तियों की विशिष्टियां देते हुए भरा जाना और प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

MINISTRY OF FINANCNE

(Dopartment of Economic Affairs)

Insurance Division

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 1995

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments to the Life Insurance Corporation of India (Staff Regulations), 1960, namely:–

1. Short title and commencement:

1. These rules may be called the Life Insurance Corporation of India(Staff) (Amendment) Rules, 1995.

2. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960 after Regulation 35, the following shall be inserted, namely:–

"Filing of Returns of Property":

35-A (1) No employee of the Corporation shall except with the previous knowledge of the competent authority, acquire or accept either in his name or in the name of any member of his family, any immovable property or any interest therein by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise for dispose of the same in any manner.

(2) No employee of the Corporation shall, except with the previous sanction of the competent authority, enter into any transaction concerning any immovable or movable property with a person or a firm with whom he has or had official dealings.

(3) Every employee of the Corporation shall immediately report to the competent authority every transaction of moveable proerty if the value of such property exceed Rs. 10,000 in the case of an employee holding any Class I or Class II posts or Rs. 5,000 in the case of an employee holding any Class III or Class IV posts.

(4) Commencing from first day of April, 1995, a person holding any post in Class I, Class II or Class III shall submit once in every year, return of assets and liablities in such a form as may be prescribed and duly verified by him as to:

(a) any immovable property accepted or acquired by him by any of the modes specified in sub-regulation (1) or owned or inherited by him or held in his name or in the name of any member of his family or of any other person;

(b) shares, debentures or other securities or cash including bank deposits inherited, owned or similarly accepted or acquired by him or held in his name;

(c) other movable property inherited, owned or similarly accepted or acquired by him or held in his name or in the name of any member of his family, where value of such property as on the date of submission of the return exceeds Rs. 10,000/-; and

(d) the debts or other liabilities incurred by him directly or indirectly:

Provided that the competent authority may for reasons to be recorded direct an employee in Class IV to submit a return of his assets and liabilities for any one or more years, in which case all the provisions of this Sub-Regulation shall apply to him as they apply to an employee in Class I or Class II or Class III.

(5) The return specified in sub-regulation (4) shall be, in the case of first appointment, in respect of the assets and liabilities as on the date of appointment shall be submitted not later than one month from the date of which is appointed in service :

Explanation: For the purpose of this Regulation the competent authority shall be the appointing authority of the post to which the employee belongs, as specified in schedule I appended to the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960.

[F. No. 9(29)/90—Vig.]
C.S. RAO, Jt. Secy.

SCHEDULE VI

FORM

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR————(AS ON 1ST JANUARY)

1. Name of the Officer/official (in full) ————————
2. Present Post held ————————
3. Place of Posting ————————
4. Present Pay ————————

Name of the Distt. Sub-Division Taluk and Village in which property is situated	Name and details of		If not in own name, state in whose name held and his/her relationship to the Govt. servant	How acquired whether by purchase, lease* mortgage, inheritence, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired	Annual Income from the property	Remarks
	Housing and other lands Building	**Present Value				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Signature————

Date————

*In-applicable clause to be struck out

**In case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate value in relation to present conditions may be indicated.

Includes short-term lease also.

Note:-The declaration form is required to be filled in and submitted by every employee of the Life Insurance Corporation of India belonging to Class I, II & III under regulation 35-A of LIC (Staff) Regulations, 1960 of first appointment to the service & thereafter at the interval of every twelve months giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any Member of his family or in the name of any other person.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995